लोक शिक्षण संचालनालय,मध्य प्रदेश
गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 91–0755–2583650 फैक्स 2583651

क्र./आई.ई.डी.एस.एस./10/143, भोपाल,दिनांक 14/09/2010

विज्ञप्ति

"केन्द्र प्रवर्तित विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर (IEDSS) अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण"

आईईडीएसएस योजना अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक निःशक्त बच्चों को हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर समावेशित शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010–11 में विशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों के संचालन की जिम्मेदारी निःशक्त बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। उक्त कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं को अप्रैल 2011 तक के लिए दिया जाएगा।

संस्था की पात्रता एवं अर्हता :–

1. संस्था निःशक्तजन अधिनियम 1995 धारा 52 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
2. संस्था को निःशक्त बच्चों की विशेष शिक्षा (दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित अथवा मंदबुद्धि बच्चों) अथवा इन बच्चों के छात्रावास संचालन में 03 वर्ष का अनुभव हो।
3. संस्था के बायलाज में विकलांग बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
4. संस्था का पंजीयन फर्म्स सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पुरानी होनी चाहिए।

प्रस्ताव के संलग्नक :–

पात्र स्वयं सेवी संस्थाएं उपरोक्त उल्लेखित कार्य करने में सक्षम एवं इच्छुक हैं वे अपना प्रस्ताव निम्नलिखित अभिलेखों के साथ दिनांक 15.10.2010 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं :–

1. संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बायलाज की प्रति।
2. संस्था का निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 52 का प्रमाण पत्र।
3. संस्था का तीन वर्षों का आडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन।
4. संस्था को विगत तीन वर्षों में शासन का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है तो उसके आदेश की प्रतियां।
5. संस्था द्वारा निःशक्त बच्चें को शिक्षण प्रशिक्षण में किये गये कार्यों के अनुभव से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां।

संस्था अपने प्रस्ताव के लिफाफे पर "आईईडीएसएस कार्य हेतु प्रस्ताव" स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखें। किसी जिले हेतु संस्था का चयन होने पर उस संस्था के साथ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एमओयू किया जाएगा। जिसके अनुसार संस्था कार्य करेगी। संस्था चयन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आयुक्त, लोक शिक्षण का निर्णय अंतिम होगा। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव एवं चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sednmp.nic.in पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.